



समाहरणालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

(जिला गोपनीय प्रशाखा)

दिनांक-06.08.2018 को अपराह्न 05.00 बजे जिलाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी की अध्यक्षता में "चम्पारण के रण" के संबंध में हुई बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :- पंजी अनुसार।

- (1) जिलाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी की अध्यक्षता में दिनांक-06.08.2018 को अपराह्न 05.00 बजे डॉ राधा कृष्णन भवन, मोतिहारी में "चम्पारण का रण" के संबंध में बैठक हुई। इस बैठक में उप विकास आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड समन्वयकों ने भाग लिया। बैठक की कार्यवाही निम्न प्रकार है :-
- (2) सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि जिन पंचायतों में 50 प्रतिशत से अधिक शौचालयों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है, वहाँ प्रोत्साहन राशि वितरण करने की कार्रवाई की जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रतिदिन कम-से-कम 10,000 (दस हजार) परिवारों को भुगतान हो जाय। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जितने परिवारों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाना चाहिए, उसके विरुद्ध मात्र 03 प्रतिशत परिवारों को भुगतान किया गया है जो खेदजनक है। भुगतान के मामले में पूरे राज्य में जिले का स्थान 35 वाँ है। ग्रामीण विकास विभाग का मानना है कि पूर्वी चम्पारण जिले में 50,000 (पचास हजार) परिवारों का भुगतान किया जा सकता है। मुख्य सचिव, बिहार, पटना के द्वारा भी भुगतान की कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया है।  
अतः प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड समन्वयकों को निदेशित किया गया कि इस सप्ताह में कम-से-कम 50,000 (पचास हजार) परिवारों के बीच प्रोत्साहन राशि का भुगतान करवाना सुनिश्चित करें। वैसे पदाधिकारी जो इस कार्य में अभिरुचि नहीं लेंगे, उनके विरुद्ध सख्त अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।
- (3) डी0पी0एम0 जीविका को निदेशित किया गया कि दिनांक-08.08.2018 को 5,000 (पाँच हजार) परिवारों को तथा दिनांक-23.08.2018 तक 50,000 (पचास हजार) परिवारों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान करवाना सुनिश्चित करें।
- (4) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि विगत चार महीने में आई0एच0एच0एल0 कवरेज में मात्र 01 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह स्थिति अत्यन्त ही निराशाजनक है। पिछले दिनों निरीक्षण के क्रम में कहीं भी खुले में शौच नहीं पाया गया। चिरैया प्रखंड के निरीक्षण के क्रम में वहाँ काफी संख्या में प्रोत्साहन राशि भुगतान से संबंधित आवेदन-पत्र पाये गये थे, जिसपर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। समीक्षा के क्रम में यह भी पाया गया कि 01.07.2018 से 08.08.2018 तक 10 प्रतिशत आई0एच0एच0एल0 की इन्द्री की जा सकती थी जो नहीं किया गया है यह अत्यन्त असंतोषजनक है।

विदित हो कि 02 अक्टूबर, 2018 को जिले को खुले में शौच से मुक्त किया जाना है। जिले में 10 प्रतिशत ऐसे परिवार हैं, जिनके घरों में शौचालय निर्माण कार्य कराया जाना शेष रह गया है। अतः ऐसे परिवारों को चिन्हित कर सूची तैयार करने तथा उसका वार्डवार विखंडन कराकर शौचालय निर्माण करवाने की कार्रवाई की जाय। यह भी बताया गया कि ऐसे परिवारों के बीच बार-बार जाकर उन्हें मोटिवेट करने की आवश्यकता है ताकि वे स्वयं अपने शौचालय का निर्माण कार्य करा सकें।

प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड समन्वयकों को निदेशित किया गया कि प्रतिदिन कम-से-कम 4000 (चार हजार) आई0एच0एच0एल0 की इन्ट्री करवाना सुनिश्चित करें।

- (5) डी0पी0एम0, जीविका को भी प्रतिदिन 2000 (दो हजार) आई0एच0एच0एल0 की इन्ट्री करवाने का निदेश दिया गया।
- (6) समीक्षा के क्रम में प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधुबन के द्वारा बताया गया कि प्रखंड समन्वयक एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर की कमी के कारण आई0एच0एच0एल0 इन्ट्री कार्य में कठिनाई हो रही है। अतः प्रखंड समन्वयक, तेतरिया को मधुबन के साथ सम्बद्ध करने का निदेश दिया गया। साथ ही, उन्हें यह भी निदेशित किया गया कि यदि उन्हें कम्प्यूटर ऑपरेटर की आवश्यकता हो तो दैनिक आधार पर कम्प्यूटर ऑपरेटर को रख सकते हैं।
- (7) समीक्षा के क्रम में बताया गया कि जिले में 35,000 मकान अपूर्ण है। अतः इसे शीघ्र पूरा करवाने के लिए ग्रामीण आवास पर्यवेक्षकों को निदेशित किया गया।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई।

20/

जिलाधिकारी,

पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

ज्ञाप संख्या-2489/गो0 मोतिहारी, दिनांक- 14 वीं <sup>अप्रैल</sup> जुलाई, 2018  
प्रतिलिपि- उप विकास आयुक्त, पूर्वी चम्पारण/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण/निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पूर्वी चम्पारण/सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण/सभी प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण/डी0पी0एम0, जीविका, मोतिहारी/सभी प्रखंड समन्वयक, पूर्वी चम्पारण/सभी ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक/सभी संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14-8-18  
जिलाधिकारी,

पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।